28

आदेश दिनांक 20/3/18 अनुसार संशोधन

सिकन्दर खाँ तनय गनपत खाँ (फौत)
वारिसान
1- जिन्नत बानो पत्नी स्व. सिकन्दर खां आयु - 62 वर्ष
2- कुदरत खां पुत्र श्री सिकन्दर खाँ आयु - 32 वर्ष
3 - इदरीस खाँ पुत्र स्व. सिकन्दर खाँ आयु - 28 वर्ष
4- अहमान खाँ पुत्र स्व. सिकन्दर खाँ आयु - 24 वर्ष
निवासीगण - ग्राम बंजारीपुरा, तह० पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़, म०प्र०
5 - रज्जो बानो पत्नी श्री सलीम खाँ पुत्री स्व. सिकन्दर खाँ आयु - 34 वर्ष
निवासी - ग्राम वीरपुरा, तह० निवाड़ी जिला टीकमगढ़

न्यायालय श्रीमान् रा

R 307- II/13

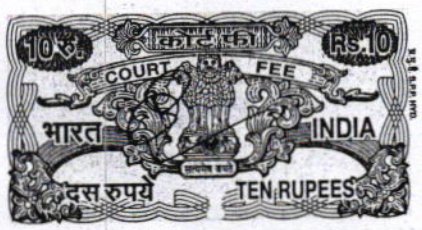

श्री के० के० द्विवेदी, अभि०
द्वारा आज दि. 23-1-13 को
प्रस्तुत

23-1-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

23-1-13

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व सांहिता 1959 प्रतिकूल निणय एवं आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण क्र: 19/अपील/2011–12 दिनांक 21.12.2011 के विरूद्ध

महोदय,

निगराकार अपनी पुनरीक्षण याचिका में सादर निम्न विनय करते है।

1. यह कि अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ म0प्र0 का अपील प्रकरण क्रमांक 19/अपील/2011–12 में पारित दिनांक 21.12.2011 विधि विरूद्ध है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मिथ्या बनावटी व गैरकानूनी तरीके से प्रस्तुत की गई है तथा अपील समयसीमा के बाहर होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायायल द्वारा ग्राह्य कर ली गई। कथित भूमि के संबंध में आवेदक को मृतक बछौडाबारी के द्वारा बसीयतनामा किया गया था और इस बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की गई थी। अनावेदकगण का किसी भी तरह का कोई हित न होते हुए भी कथित अपील में पक्षकार बनाये जाने के आदेश में कानूनी भूल की गई है जबकि अनावेदकगण वीरपुरा ... के स्थाई निवासी है तथा उनका कथित भूमि से कभी भी कोई सरोकार नही

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-307-दो/2013 जिला टीकमगढ़ सिकन्दर विरूद्ध कमरान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 19/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21-12-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-01-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/2/19
सदस्य